आयकर विवरणी 4 फार्म भरने के लिए अनुदेश

ये अनुदेश इस विवरणी प्रपत्र में ब्यौरों को भरने के लिए दिशानिर्देश है ।कोई संदेह होने की स्थिति में, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबंधों तथा आयकर नियमावली, 1962 का अवलोकन करें ।

1. कर निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह फार्म लागू है

यह फार्म केवल कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ही लागू है । अर्थात यह वित्त वर्ष 2009-10 में अर्जित आय से संबंधित है ।

2. इस फार्म का उपयोग कौन कर सकता है ।

एक व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार होने के नाते इस फार्म का उपयोग कोई व्यक्ति कर सकता है जो संपत्ति का कारोबार अथवा व्यवसाय कर रहा है ।

3. अनुबंध रहित फार्म

इस फार्म के साथ कोई दस्तावेज़ (जिसमें टी डी एस/टी सी एस प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी शामिल है) संलग्न नहीं करना चाहिए । विवरणी प्राप्त करने वाले अधिकारी को अनुदेश दिया गया है कि वह इस फार्म के साथ संलग्न किए गए सभी दस्तावेज़ को उससे अलग कर दे तथा कर-निर्धारिती को उसे वापस कर दे ।

4. इस फार्म को निम्नलिखित में से किसी तरीके से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है :

(i) कागज़ी रूप में विवरणी प्रस्तुत करके

(ii) डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक तरीके से विवरणी प्रस्तुत करके

(iii) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विवरणी में आंकड़े प्रेषित करके तथा उसके बाद फार्म आयकर विवरणी-V में विवरणी के प्रस्तुतीकरण का सत्यापन करना

(iv) बार-कोडेड कागज़ी विवरणी प्रस्तुत करके ।

जहाँ 5 (iii) में उल्लिखित तरीके से फार्म प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ आपको फार्म आयकर विवरणी-V की दो प्रतियाँ तैयार करनी होंगी । आ.क.वि.V की एक प्रति कर निर्धारिती द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा साधारण डाक से पोस्ट बैग-1, इलैक्ट्रानिक सिटी कार्यालय बंगलुरू-560100 (कर्नाटक को भेजी जानी चाहिए । दूसरी प्रति कर निर्धारिती द्वारा उसके रिकार्ड के तौर पर अपने पास रखी जा सकती है ।

5. पावती भरना

जहाँ फार्म 5 (i) अथवा 5 (iv) में उल्लिखित तरीके से भरा जाता है, वहाँ इस फार्म के साथ संलग्न पावती स्लिप विधिवत् भरी जानी चाहिए ।

6. इस फार्म को भरने के लिए कोड

संगत कोडों के आधार पर किस धारा के तहत विवरणी भरी जा रही है इसका ब्यौरा प्रपत्र के 'भरने की स्थिति' शीर्ष में भरा जाना चाहिए ।

(i) उन धाराओं के लिए कोड जिनके अंतर्गत विवरणी दाखिल की जाती है, निम्नवत है:

क्रम सं.	विवरणी कैसे भरी गई है	कोड
i.	धारा 139 के तहत नियत तिथि (31.7.2007) से पूर्व स्वैच्छिक रूप से	11
ii.	धारा 139 के तहत नियत तिथि के बाद स्वैच्छिक रूप से	12
iii.	धारा 142 (1) के अंतर्गत नोटिस के संबंध में	13
iv	धारा 148 के तहत जारी नोटिस के संबंध में	14
v.	धारा 153क के तहत जारी नोटिस के संबंध में	15

7(i) भाग-क-कारोबार स्वरूप में भरे जाने वाले कारोबार के स्वरूप के कोड निम्नवत हैं :

क्षेत्र	उपक्षेत्र	कोड
(1) विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	0101
	ऑटोमोबाइल तथा ऑटोपार्ट्स	0102
	सीमेंट	0103
	डायमंड कटिंग	0104
	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	0105
	कंप्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स	0106
	इंजीनियरिंग सामान	0107
	उर्वरक, रसायन तथा पेंट्स	0108
	आटा तथा चावल मिलें	0109
	खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें	0110
	मार्बल तथा ग्रेनाइट	0111
	कागज़	0112
	पेट्रोलियम तथा पेट्रो रसायन	0113
	बिजली तथा ऊर्जा	0114
	मुद्रण तथा प्रकाशन	0115
	रबड़	0116

	इस्पात	0117
	शर्करा	0118
	चाय तथा कॉफी	0119
	वस्त्र, हथकरघा तथा बिजलीकरघा	0120
	तंबाकू	0121
	टायर	0122
	वनस्पति तथा खाद्य तेल	0123
	अन्य	0124
(2) व्यापार	चेन स्टोर्स	0201
	खुदरा विक्रेता	0202
	थोक विक्रेता	0203
	अन्य	0204
(3) आढ़ती	सामान्य आढ़ती	0301
(4) भवन निर्माता	भवन निर्माता	0401
	संपदा एजेंट	0402
	प्रापर्टी डेवेलपर्स	0403
	अन्य	0404
(5)संविदाकार	सिविल संविदाकार	0501
	उत्पाद शुल्क संविदाकार	0502
	वन संविदाकार	0503
	खनन संविदाकार	0504
	अन्य	0505
(6) प्रोफेशनल	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लेखा परीक्षक आदि	0601
	फैशन डिज़ाइनर	0602
	विधि प्रोफेशनल	0603
	चिकित्सा प्रोफेशनल	0604
	नर्सिंग होम	0605
	विशिष्ट अस्पताल	0606
	अन्य	0607
(7) सेवा क्षेत्र	विज्ञापन एजेंसियाँ	0701
	ब्यूटी पार्लर	0702
	कंसल्टेंसी सेवाएं	0703

	कूरियर सेवाएं	0704
	कंप्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षणिक तथा कोचिंग संस्थान	0705
	फौरैक्स डीलर्स	0706
	आतिथ्य सेवाएं	0707
	होटल	0708
	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, बी पी ओ सेवा प्रदाता	0719
	सिक्योरिटि सेवाएं	0710
	सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट एजेंसियाँ	0711
	ट्रांसपोर्टर्स	0712
	ट्रेवेल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स	0713
	अन्य	0714
(8) वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंकिंग कंपनियां	0801
	चिट फंड्स	0802
	वित्तीय संस्थाएं	0803
	वित्तीय सेवा प्रदाता	0804
	लीज़िंग कंपनियाँ	0805
	मनी लेंडर्स	0806
	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ	0807
	शेयर ब्रोकर्स, सब शेयर ब्रोकर्स, .इत्यादि	0808
	अन्य	0809
(9) मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी प्रोडक्शन्स	0901
	फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन	0902
	फिल्म प्रयोगशालाएं	0903
	मोशन फिल्म निर्माता	0904
	टेलीविज़न चैनल्स	0905
	अन्य	0906

(ii) अनुसूची एस.आई. 1 में उन धाराओं के लिए कोड जो उनमें उल्लिखित आय के लिए कर की विशेष दरें विहित हैं, निम्नवत् हैं :

क्रम सं.	आय का स्वरूप	धारा	कर की दर	धारा कोड
1	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के संचित शेष पर कर	111	चौथी अनुसूची	1

			के भाग क के नियम 9 (1) के अनुसार संगणित की जानी है	
2	अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ	111क	10	1क
3	दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ (सूची सहित)	112	20	21
4	दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ (सूची के बिना)	112	10	22
5	विदेशी मुद्रा में यूनिटों की खरीद से लाभांश, ब्याज तथा आय	115क (1) (क)	20	5क1क
6	रॉयल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं से आय जहाँ रॉयल्टी के मामले में करार 31.3.1961 से 43म1.3.1976 के बीच और 29.2.1964 तथा 31.3.1976 के बीच निष्पन्न हुआ है और करार केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है ।	वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैराग्राफ ई II	50	च क
7	रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं से आय	115 (1) (ख) यदि करार 31.5.1997 को अथवा उससे पूर्व निष्पन्न हुआ है ।	30	5क1ख1
8	रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं से आय	115क (1)(ख) यदि करार 31.5.1997 को अथवा उसके बाद किन्तु 1.6.2005 से पूर्व निष्पन्न हुआ है ।	20	5क1ख2
9	रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओं से आय	115क (1)(ख)	10	5क1ख3

		यदि करार 1.6.2005 को अथवा उसके बाद हुआ है।		
10	किसी अपतटीय निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में यूनिटों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	115क ख (1)(क)	10	5कख1क
11	किसी अपतटीय निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में यूनिटों की खरीद के हस्तांतरण से उद्भूत होने वाले दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ के रूप में आय	115 क ख (1)(ख)	10	5कख1ख
12	विदेशी मुद्रा में बांडों अथवा जी डी आर की खरीद से आय अथवा किसी अनिवासी के मामले में उनके हस्तांतरण के मामले में उनके हस्तान्तरण से उद्भूत पूँजीगत अभिलाभ	115 क ग (1)	10	5कग
13	विदेशी मुद्रा में जी डी आर की खरीद से आय अथवा किसी निवासी के मामले में उनके हस्तान्तरण से उद्भूत पूँजीगत अभिलाभ	115 क ग क (1)	10	5कगक
14	जीवन बीमा कारोबार के लाभ तथा अभिलाभ	115ब	12.5	5ख
15	लॉटरियों, शद्व वर्गों, पहेलियों, दौड़ों जिनमें घुड़दौड़, कार्ड गेम्स तथा अन्य प्रकार का कोई खेल अथवा जुआ अथवा कोई अन्य प्रकार की बाजी अथवा उसका स्वरूप चाहे जैसा कोई हो, शामिल है, से जीत	115 ख	30	5खख
16	अनिवासी खिलाड़ी अथवा खेल संघों पर कर	115 ख ख क	10	5खखक
17	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी ओपन एन्डेड इक्विटी उन्मुख फंड अथवा म्युचुअल फंड की यूनिटों से प्राप्त आय पर कर	115 ख ख ख	10	5खखख
18	गुप्त दान	115 ख ख ग	30	5खखग
19	निवेश आय	115ड. (क)	20	5ड.क
20	दीर्घ कालिक पूँजीगत अभिलाभ के रूप में आय	115ड. (ख)	10	5ड.ख
21	दोहरा कराधान करार			डीटीएए

(iii) वार्षिक सूचना विवरणी की अनुसूची में निम्नलिखित संव्यवहारों के ब्यौरे, यदि कोई हो, आपके द्वारा वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान प्रविष्ट किए गए हैं, प्रविष्ट किए जाने हैं । (यदि कोई संव्यवहार प्रविष्ट नहीं किया गया है तो कृपया इस मद में संगत कॉलम को खाली छोड़ दें)

क्रम सं.	कोड	संव्यवहार का स्वरूप
1	001	किसी बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित कोई बैंक अथवा बैंकिंग संस्था भी शामिल हैं) में आपके बचत खाते में किसी वर्ष में कुल दस लाख रूपए अथवा इससे अधिक की नकद जमा राशि
2	002	किसी क्रेडिट कार्ड के संबंध में उठी बिलों में आपके द्वारा किसी वर्ष में कुल दो लाख रूपए अथवा इससे अधिक का किया गया संदाय
3	003	आपके म्यूचुअल फंड की यूनिटों की खरीद के लिए दो लाख रूपए अथवा इससे अधिक राशि का किया गया संदाय
4	004	आपके द्वारा बांडों की अधिप्राप्ति अथवा किसी कंपनी अथवा संस्था द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के लिए 3 लाख रूपए अथवा इससे अधिक राशि का किया गया संदाय
5	005	किसी कंपनी के द्वारा जारी किए गए शेयरों की अधिप्राप्ति के लिए आपके द्वारा एक लाख रूपए अथवा इससे अधिक राशि का किया गया संदाय
6	006	30 लाख रूपए अथवा इससे अधिक की मूल्यांकित किसी अचल संपत्ति की आपके द्वारा खरीद
7	007	30 लाख रूपए अथवा इससे अधिक की मूल्यांकित किसी अचल संपत्ति की आपके द्वारा बिक्री ।
8	008	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश के लिए किसी वर्ष में 5 लाख रूपए अथवा इससे अधिक राशि का आपके द्वारा किया गया संदाय

8. कानून की संक्षिप्त स्कीम - इस फार्म को भरने से पूर्व आपको हिदायत दी जाती है कि निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ लें -

(1) **कुल आय की संगणना**

(क) " पूर्व वर्ष" वह वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) है जिसके दौरान संगत आय अर्जित की गई है। " कर-निर्धारण वर्ष" वह वित्त वर्ष होता है जो पूर्व वर्ष के ठीक बाद आता है।

(ख) कुल आय की संगणना निम्नलिखित क्रम में निम्नानुसार की जानी है :

(i) आय के निम्निलिखित शीर्षों के अंतर्गत आय की सभी मदों को वर्गीकृत करें- (क) वेतन (ख) " गृह संपत्ति से आय";(ग) कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ;(घ) "पूँजीगत-अभिलाभ"; और (ड.) " अन्य स्रोतों से आय" । (आय के एक अथवा (क),(ख),(घ) तथा(ड.) के मदों में अधिक शीर्षों के अंतर्गत कोई आय नहीं हो सकती है)

(ii) अनुसूचियों में आय के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष (अर्थात पूर्ववर्ती वर्ष) की कराधेय आय की संगणना अलग से करें । ये अनुसूचियां इस प्रकार तैयार की गई हैं ताकि आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आपको संगणना करने में मदद मिल सके । इन सांविधिक उपबंधों में यह निश्चित किया गया है कि आपकी आय में क्या शामिल किया जाना है, व्यय अथवा छूट के तौर पर आप किसका दावा कर सकते हैं और कितना दावा कर सकते हैं।

(iii) कानून द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार चालू वर्ष की मदवार आय (आयों) के सामने चालू वर्ष की मदवार क्षति (क्षतियों) का प्रतितुलन करें । ऐसे प्रतितुलन के लिए अलग से एक अनुसूची दी गई है ।

(iv) कानून द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्ष (वर्षों) के प्रतितुलन, क्षति (क्षतियों तथा/अथवा छूट (छूटों) को अग्रेनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्षति (क्षतियों) तथा/अथवा छूट (छूटों) की गणना करें कि भविष्य में उनका प्रतितुलन किया जा सके और कानून द्वारा विहित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें अग्रेनीत किया जाना है । इसके लिए अनुसूचियाँ अलग से दी गई हैं

(v) उपर्युक्त (iv) के पश्चात् यथा उपलब्ध शीर्षवार अंतिम परिणामों का योग करें । इससे आपको कुल सकल आय प्राप्त होगी ।

(vi) कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार कुल सकल आय से आयकर अधिनियम के अध्याय VI क में उल्लिखित कटौतियां घटाएं । यह परिणाम कुल आय होगी । इसके अतिरिक्त दर प्रयोजनों के लिए कृषिजनित आय की संगणना करें ।

(2) कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आयकर, अधिभार, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित तथा ब्याज की संगणना

(क) सकल आय पर देय आयकर की संगणना करें । कर की विशेष दरें कतिपय विनिर्दिष्ट मदों पर लागू हैं । कर संगणना की प्रक्रिया में दर के प्रयोजन के लिए यथा विहित कृषि जनित आय को शामिल करें ।

(ख) कानून द्वारा यथा विहित उपर्युक्त देय कर पर अधिभार जोड़ें ।

(ग) संदेय कर जमा अधिभार पर यथा विहित माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर जोड़े ।

(घ) कानून द्वारा यथा विहित वर्ष अथवा दोहरे कराधान के दौरान प्राप्त बकाया राशि, अथवा वेतन अग्रिमों के फलस्वरूप राहत (राहतों) का दावा करें और शेष कर तथा देय अधिभार की संगणना करें ।

(ङ) कानून द्वारा यथा विहित देय ब्याज जोड़ें ताकि कुल कर, अधिभार तथा देय ब्याज निकाला जा सके ।

(च) पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हो, जैसे " स्रोत पर की गई कर कटौती", " अग्रिम कर" तथा " स्व निर्धारण कर" की राशि को घटाएं । परिणाम देय कर (अथवा प्रति अदायगी) होगा।

(3) विवरणी दाखिल करने की बाध्यताएं

(क) प्रत्येक व्यष्टि और अविभाजित हिन्दू परिवार को अपनी विवरणी दाखिल करनी होगी यदि धारा 10 क अथवा धारा 10 ख अथवा धारा 10खक अथवा अध्याय VI- क(अर्थात् यदि अनुसूची 10 क की मद 6 की अनुसूची 10 क की मद च द्वारा यथावर्धित भाग ख-न झ की मद 10 में उल्लिखित उसकी कुल सकल आय) उस अधिकतम राशि से अधिक होती है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है (65 वर्ष से कम आयु के व्यष्टि (महिलाओं से भिन्न) तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में 1,60,000/-रू. तथा 65 वर्ष से कम आयु की महिला के मामले में 1,90,000/-रू. तथा ऐसे व्यष्टि जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान किसी समय 65 वर्ष की आयु अथवा इससे अधिक आयु के मामले में 2,40,000/-रू.)

(ख) हानियाँ, यदि कोई हों, (इस फार्म के भाग ख-न झ की मद 15) को तब तक अग्रेनीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक नियत तिथि को अथवा इससे पूर्व विवरणियाँ भरी नहीं जाती हैं ।

(ग) धारा 10 क, 10 ख, 80 झ क, 80 झ क ख, 80 झ ख तथा 80 झ ग के अंतर्गत कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक नियत तिथि को अथवा उससे पूर्व विवरणी दाखिल नहीं की जाती हैं ।

9. इस फार्म की स्कीम

इस फार्म की स्कीम में कानून की स्कीम का अनुसरण किया गया है जैसा कि इसके मौलिक फार्म में ऊपर कहा गया है । इस फार्म को दो भागों में विभक्त किया गया है । इन भागों के ब्यौरे तथा अनुसूचियाँ निम्नवत हैं :-

(i) भाग-क में पाँच उप प्रभाग हैं जो निम्नवत् हैं :-

(क) भाग क-सामान्य का मुख्य आशय अपेक्षित पहचान वाली सामान्य सूचना तथा अन्य आंकड़ों से है ।

(ख) भाग क-खघ का आशय दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र से है ।

(ग) भाग क-त तथा ढ का आशय वित्त वर्ष 2009-10के लिए लाभ तथा हानि लेखा के संबंध में सूचना से है ।

(घ) भाग क-ण झ का आशय अन्य सूचना से है । धारा 44 कख के अंतर्गत यह लेखा परीक्षा के लिए वैकल्पिक है अन्यथा जरूरी नहीं है

(ङ) भाग-क-धध का आशय व्यापारकृत माल की प्रमुख मद के मात्रात्मक ब्यौरे के बारे में सूचना से है । धारा 44 क ख के अंतर्गत लेखा परीक्षा के लिए यह वैकल्पिक है अन्यथा ज़रूरी नहीं है ।

(ii) दूसरा भाग अर्थात भाग ख कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में कुल आय की रूपरेखा तय करने तथा कर की संगणना के बारे में है ।

(iii) भाग ख के बाद, यह है-

(क) इस फार्म में आंकड़ों के प्रेषण को दर्शाने वाले ब्यौरे के लिए स्थान यदि अनुदेश संख्या 5 (iii) में उल्लिखित तरीके के अनुसार फार्म प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) सांविधिक सत्यापन के लिए स्थान

(ग) ब्यौरों को भरने के लिए स्थान यदि कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा विवरणी तैयार की गई है।

(iv) पृष्ठ 6 से 20 पर, 32 अनुसूचियाँ हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत् हैं-

(क) अनुसूची-ध : वेतन शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना

(ख) अनुसूची - ज त : गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(ग) अनुसूची ख त कारोबार अथवा व्यवसाय प्राप्त लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(घ) अनुसूची घ त ड : आयकर अधिनियम के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्यह्रास की संगणना ।

(ङ) अनुसूची-ध ण क : आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की संगणना

(च) अनुसूची ध ड त : आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का लेखा जोखा ।

(छ) अनुसूची ध ग ज : मूल्य ह्रास योग्य परिसंपत्तियों की ब्रिक्री पर माने गए पूँजीगत अभिलाभ की संगणना ।

(ज) अनुसूची ड ध द : धारा 35 के अंतर्गत कटौती (वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय)

(झ) अनुसूची ग छ : पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(ञ) अनुसूची ण ध : अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना ।

(ट) अनुसूची ग म ठ क : चालू वर्ष की क्षतियों का प्रतितुलन करने के उपरांत आय का विवरण

(ठ) अनुसूची ख च ठ क : पूर्ववर्ती वर्षों से अग्रेनीत अनावशोषित हानि का प्रतितुलन करने के उपरांत आय का विवरण

(ड) अनुसूची ग च ठ : भावी वर्षों में बढ़ाई जाने वाली क्षतियों का विवरण ।

(ढ) अनुसूची -10क : धारा 10 क के अंतर्गत कटौती की संगणना

(ण) अनुसूची-10 कक : धारा 10 क क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(त) अनुसूची-10 ख : धारा 10 ख के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(थ) अनुसूची-10 खक : धारा 10 ख क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(द) अनुसूची- 80 छ : धारा 80 छ के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र दान के ब्यौरे ।

(ध) अनुसूची -झक : धारा 80 झ क के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(न) अनुसूची-80 झख : धारा 80 झ ख के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(प) अनुसूची-80 झग/ 80 झड. : धारा 80 झग/ 80 झ ड़ के अंतर्गत कटौती की संगणना ।

(फ) अनुसूची-VI क : अध्याय VI क क के अंतर्गत (कुल आय से) कटौती की संगणना ।

(ब) अनुसूची-धन नद : धारा 80 ड. के अंतर्गत रिबेट की संगणना ।

(भ) अनुसूची- धत : जीवन साथी/नाबालिग बच्चे/पुत्र वधु अथवा कोई अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का संघ से उद्भूत होने वाली आय जिसमें अनुसूची ज त, ख त, ग छ तथा ण ध में शामिल की जानी है, का विवरण ।

(म) अनुसूची-धझ : ऐसी आय जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है, का विवरण

(य) अनुसूची-झच : ऐसी साझेदार फर्म जिनमें कर-निर्धारिती एक साझेदार है, के बारे में विवरण ।

(र) अनुसूची-धन नद : धारा 80 ड. के अंतर्गत रिबेट की संगणना ।

(कक) अनुसूची ड.झ : कुल आय में शामिल न की गई आय (छूट प्राप्त आय) का विवरण

(खख) अनुसूची-वार्षिक सूचना विवरणी : ऐसे संव्यवहार जो धारा 285 ख क के अंतर्गत वार्षिक सूचना विवरणी के माध्यम से सूचित किए गए हैं, के बारे में सूचना ।

(गग) अनुसूची-आयकर : अग्रिम कर तथा स्व कर निर्धारण पर कर के भुगतान का विवरण ।

(घघ) अनुसूची -टी डी एस 1 : वेतन संबंधी स्रोत पर की गई कर कटौती का विवरण

(ड.ड.) अनुसूची-टी डी एस 2: वेतन से भिन्न आय पर स्रोत पर की गई कर कटौती का विवरण

(चच) अनुसूची टी डी एस : स्रोत पर संग्रहीत कर का विवरण ।

10. भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए मार्गदर्शन

(1) सामान्य

(i) सभी मदें उनमें निर्दिष्ट तरीके से भरी जानी चाहिएं अन्यथा विवरणी दोषपूर्ण होने अथवा विधिमान्य न होने के कारण वापस की जा सकती है ।

(ii) यदि कोई अनुसूची लागू नहीं है तो उसे काट कर लिखें " लागू नहीं" ।

(iii) यदि कोई मद लागू नहीं है तो उस मद के सामने " लागू नहीं" लिखें ।

(iv) यदि आंकड़े शून्य हों तो "शून्य" लिखें ।

(v) फार्म में यथा निर्दिष्ट को छोड़कर, ऐसे आंकड़ों समक्ष नकारात्मक आंकड़ों/हानि के आंकड़ों के लिए "---------" लिखें ।

(vi) सभी आंकड़े एक रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित होने चाहिए । तथापि, कुल आय/हानि तथा देय कर के आंकड़े उस रूपए के निकटतम बहुल तक पूर्णांकित होने चाहिए ।

(2) भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए क्रम

(i) भाग क

(ii) अनुसूचियाँ

(iii) भाग ख

(iv) सत्यापन

(v) टी आर पी तथा टी आर पी के प्रति हस्ताक्षर से संबंधित ब्यौरे यदि विवरण उसके द्वारा तैयार की गई हैं ।

11. भाग क-सामान्य

इस फार्म के भाग - सामान्य में भरे जाने वाले अधिकांश ब्यौरे स्वतः स्पष्ट हैं । तथापि, भरे जाने वाले नीचे उल्लिखित कतिपय ब्यौरों को इस प्रकार बताया गया है ।

(क) ई-मेल पता तथा फोन नं. वैकल्पिक हैं ।

(ख) एक व्यष्टि के मामले में, " नियोजक श्रेणी" के लिए सरकारी श्रेणी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों में शामिल किया जाएगा । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम श्रेणी को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शामिल किया जाएगा ।

(ग) उन धाराओं जिनके अंतर्गत अनुदेश सं. 9 (i) में दिए गए कोड के अनुसार विवरणी दाखिल की गई है / दाखिल की जाएगी, के लिए कोड

(घ) यदि एक प्रतिनिधि की हैसियत से आपके द्वारा विवरणी दाखिल की जा रही है तो कृपया " प्रतिनिधि कर-निर्धारिती के पैन" मद में अपने पैन का उल्लेख करना सुनिश्चित कर लें । यदि विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पैन की जानकारी नहीं है अथवा उसे भारत में पैन नहीं प्राप्त हुआ है तो वह विवरणी पहली पंक्ति में पैन के लिए मद को खाली छोड सकता है । कृपया .इस बात को ध्यान में रख लें कि इस फार्म की पहली पंक्ति में प्रदर्शित होने के कारण व्यक्ति का नाम भरें ।

12. भाग ए-बी-एस तथा भाग ए-पी एंड एल

(क) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान आपके द्वारा किए गए स्वामित्व कारोबार अथवा व्यवसाय के संबंध में इन भागों में दिए गए प्रपत्रों में वित्त वर्ष 2009-10 के लिए लाभ तथा हानि खातों को भरा जाना है, यदि आपके लिए वर्ष के दौरान कारोबार अथवा व्यवसाय के खातों को रखना अपेक्षित था ।

(ख) यदि संपत्ति के कारोबार से भिन्न मामलों में संपत्ति के कारोबार अथवा व्यवसाय की खाता-बहियों में लेखा नहीं रखा जा रहा है तो इस भाग में तुलन पत्र तथा लाभ और हानि को शामिल करने की जरूरत नहीं है ।

(ग) यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों का लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित था तो इन भागों में भरे गए तुलन पत्र की मदों तथा लाभ और हानि के लेखों को मोटे तौर पर लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि के लेखों का मिलान किया जाना चाहिए ।

(घ) वर्ष के दौरान यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों को रखना अपेक्षित नहीं था तो " कोई खाता नहीं" भाग के सामने इन भागों में उल्लिखित ब्यौरों को भरें ।

13. भाग-क-ण झ तथा भाग क - थ ध

(क) धारा 44 क ख के अंतर्गत यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों की लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित नहीं था तो इन भागों को भरना वैकल्पिक है ।

(ख) धारा 44 क ख के अंतर्गत जहाँ कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों की लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित था, वहाँ इन भागों जो लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सूचना दी जानी अपेक्षित है, में भरे हुए ब्यौरों की मोटे तौर पर मिलान लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यथा निर्दिष्ट ब्यौरे से की जानी चाहिए ।

(ग) खरीदों को करों में शामिल करके दर्शाया जाना चाहिए तथा खरीद पर संदत्त करों के ब्यौरे को अलग से संगत पंक्तियों में दर्शाना चाहिए । तथापि, जहाँ खरीदों पर संदत्त विभिन्न करों के ब्यौरों को अलग करना संभव न हो, वहाँ इनको शामिल करना चाहिए और खरीद के ब्यौरों में उन्हें दर्शाना चाहिए ।

(घ) भाग क-थ ध में, प्रमुख मदों के संबंध में केवल मात्रात्मक ब्यौरों को प्रस्तुत करना चाहिए।

14. अनुसूचियाँ

(क) **अनुसूची एस** यदि वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक थे तो कृपया अंतिम नियोजक का ब्यौरा दें । इसके अतिरिक्त, यदि वर्ष के दौरान एक साथ एक से अधिक नियोजक थे तो कृपया उस नियोजक का ब्यौरा प्रस्तुत करें जिससे आपको अधिक वेतन मिला। नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए टी डी एस प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) (फार्म 16) में यथा निर्दिष्ट वेतन के ब्यौरों को भरें । तथापि, यदि फार्म सं. 16 में आय की संगणना सही ढंग से नहीं की गई है तो कृपया सही संगणना करें और इस मद में उसे भरें । इसके

अतिरिक्त, वर्ष के दौरान यदि एक से अधिक नियोजक थे तो कृपया भिन्न-भिन्न नियोजकों से कुल वेतनों के संबंध में ब्यौरे इस मद में प्रस्तुत करें ।

(ख) **अनुसूची ज त**- यदि एकल गृह संपत्ति कर निर्धारिती द्वारा धारित है जो स्वधारित है तथा गृह संपत्ति के लिए गए ऋण पर संदत्त ब्याज का कटौती के रूप में दावा किया जाएगा । इस अनुसूची को भरे जाने की आवश्यकता है । यदि तीन से अधिक गृह संपत्तियां हैं तो इस अनुसूची के प्रपत्र में अलग शीट में शेष संपत्तियों का ब्यौरा भरा जाएगा और इस विवरणी के साथ शीट को संलग्न करं । सभी संपत्तियों से प्राप्त आय/हानि के परिणामों को इस अनुसूची की अंतिम पंक्ति में भरा जाएगा । निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने की जरूरत है :-

(i) वार्षिक किराया योग्य मूल्य का आशय उस राशि से है जिसके लिए गृह संपत्ति को उचित रूप से एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक वैकल्पिक आधार पर किराये पर देने की आशा की गई है। स्थानीय प्राधिकरण को संदत्त करों की कटौती तभी उपलब्ध होगी जब उक्त संपत्ति किसी किरायेदार के कब्जे में है और ऐसा कर कर-निर्धारिती द्वारा वहन किया गया हो न कि किरायेदार द्वारा और वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से उनका भुगतान किया गया हो

(ii) किराये पर दी गई संपत्ति के मामले में गैर-वसूलीकृत किराये के लिए कटौती उपलब्ध है । यदि ऐसी कोई कटौती किसी पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्ष में की गई है और ऐसा गैर-वसूलीकृत किराया वास्तविक रूप से उसी कर-निर्धारण वर्ष में प्राप्त हुआ है, इस प्रकार गैर-वसूलीकृत किराये को इस अनुसूची की मद 4 क में दर्शाना होगा ।

(iii) इस अनुसूची की मद 4 ख का संबंध भूतलक्षी प्रभाव से किराये की वृद्धि से है । यहाँ उस पर पिछले वर्ष प्राप्त अतिरिक्त किराए को दर्शाये और प्राप्त ऐसे बकाया किराये पर 30% की दर से कटौती का दावा करे

(ग) अनुसूची ख त -

(i) इस अनुसूची में संगणना भाग क-लाभ और हानि की मद सं. 43 में दर्शाए गए के अनुसार कर से पूर्व लाभ के आधार पर शुरू की जानी है ।

(ii) इस अनुसूची में उल्लिखित मदों द्वारा शामिल न किए गए जोड़ अथवा कटौती के किसी मद के मामले में इस अनुसूची की अपशिष्ट मद सं. 21 और 26 में भरें ।

(iii) यदि कारोबार अथवा व्यवसाय के लेखों को नहीं रखा जाता है तो आपके द्वारा उसमें की गई प्रविष्टि के अनुसार लाभ को भाग क-लाभ तथा हानि की मद संख्या 50 ध में भरें ।

(iv) यदि नियम 7 क, 7 ख अथवा 7 ग के आधार पर कृषि जनित आय (चाय, कॉफी आदि के उत्पादन तथा विनिर्माण के कारोबार में) को शामिल नहीं किया जाता है तो इस अनुसूची की मद सं. 5 ग में इसे शामिल नहीं किया जाएगा ।

(v) क- 37 में व्यवसाय अथवा कारोबार से निवल लाभ अथवा क्षति की केवल विशेष मामलों संगणना की जानी है उदाहरणार्थ चाय, काफी आदि के उत्पाद तथा विनिर्माण के कारोबार के मामले में जहां नियम 7क, 7ख अथवा 7ग लागू है अन्यथा क-36 में यथा संगणित लाभ अथवा हानि के आंकड़े प्रविष्ट किए जा सकते हैं।

(vi) साझेदार की हैसियत से अन्य फर्मों से कर निर्धारिती द्वारा वेतन, कमीशन, बोनस, ब्याज आदि के रूप में अर्जित आय जिसे स्वामित्व कारोबार के लाभ तथा हानि के खाते में शामिल नहीं किया गया है, को अनुसूची ख त में मद सं. क 23 में प्रकट किए जाने की आवश्यकता है ।

(vii) इस अनुसूची की मद सं. ग में कारोबार अथवा व्यवसाय (सट्टा कारोबार तथा सट्टा कारोबार से लाभ अथवा हानि से भिन्न)(मद क 37 तथा मद ख 41) के कुल लाभ अथवा हानि की संगणना करें । कृपया यह नोट कर लें कि सट्टा कारोबार के संबंध में मद ख 41 में यदि शेष कोई हानि है तो उसका गैर सट्टा कारोबार से लाभ में प्रतितुलन नहीं किया जाएगा) ऐसी स्थिति में, मद सं. क 37 के आंकड़ों को ही म द ग में प्रविष्ट किया जाएगा।

(घ) अनुसूची-डी पी एम, अनुसूची डी ओ ए, अनुसूची डी आई पी तथा अनुसूची डी जे जी - सुविधा के कारण, आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्य ह्रास की गणना अनुमत्य है (विद्युत उत्पादन करने वाले किसी उपक्रम के मामले को छोड़कर जिसके पास धारा 32 (1)(i) के अंतर्गत सीधी पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास का दावा करने का विकल्प हो सकता है) को दो भागों में अर्थात् अनुसूची डी पी एम (संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्य ह्रास) और डी ओ ए (अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास) में विभक्त किया गया है । इन अनुसूचियों के अनुसार मूल्य ह्रास के लेखा-जोखा को अनुसूची डी ई पी में दर्शाना होगा । मानित अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूची -संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्य ह्रास और अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास में यथा संगणित अनुसूची डी सी जी में प्रविष्ट करना होगा ।

(ड.) अनुसूची ई.एस.आर.: धारा 35 के तहत कटौती (वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय) इस अनुसूची के कॉलम (2) में, कृपया उस कटौती के ब्यौरे प्रस्तुत करें जिसके लिए आप इस धारा के उपबंधों के अंतर्गत पात्र हैं । कॉलम (1) में, कृपया धारा 35 द्वारा शामिल किए गए व्यय की राशि को प्रविष्ट करें यदि उन्हें लाभ तथा हानि लेखा से घटाया गया है । कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि उस पूँजीगत परिसंपत्ति के संबंध में मूल्य ह्रास के लिए कोई कटौती नहीं है जिसके लिए धारा 35 (1)(iv) के अंतर्गत दावा किया गया है ।

(च) अनुसूची सी जी -

(i) यदि एक से अधिक अल्पकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया है, तो सभी परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त संगणना की जाए। इसी प्रकार, यदि एक से अधिक दीर्घ कालिक पूँजीगत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण किया गया है तो सभी परिसंपत्तियों के लिए संयुक्त संगणना करें ।

(ii) इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित लागत मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर यदि आवश्यक हो तो दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति की संगणना के लिए, अधिग्रहण की लागत तथा सुधार की लागत की सूची बनाई जा सकती है ।

क्रम सं.	वित्त वर्ष	लागत मूल्य वृद्धि	क्रम सं.	वित्त वर्ष	लागत मूल्य वृद्धि
1	1981-82	100	15	1995-96	281
2	1982-83	109	16	1996-97	305
3	1983-84	116	17	1997-98	331
4	1984-85	125	18	1998-99	351
5	1985-86	133	19	1999-00	389
6	1986-87	140	20	2000-01	406
7	1987-88	150	21	2001-02	426
8	1988-89	161	22	2002-03	447
9	1989-90	172	23	2003-04	463
10	1990-91	182	24	2004-05	480
11	1991-92	199	25	2005-06	497
12	1992-93	223	26	2006-07	519
13	1993-94	244	27	2007-08	551
14	1994-95	259	28	2008-09	582
			29	2009-10	अधिसूचित किया जाना है।

(iii) इस अनुसूची में उल्लिखित धारा 54/54 ख/54घ/54 ड. ग/54 च/54 छ/54 छ क में पूँजीगत अभिलाभ पर छूट प्रदान की गई है बशर्ते कि कतिपय शर्तों को पूरा किया जाए । इन धाराओं में से कतिपय धाराओं के अंतर्गत दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ के संबंध में ही छूट उपलब्ध है । अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप कानून के उपबंधों के अनुसार इन धाराओं में से किन धाराओं के लाभों का सही ढंग से दावा कर रहे हैं।

(iv) इस अनुसूची की मद सं. ग में कुल अल्प कालिक पूँजीगत अभिलाभ तथा दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ (मद क 4 तथा मद ख 5) संगणना की जाती है । कृपया यह नोट कर लें कि दीर्घ कालिक पूँजीगत अभिलाभ के संबंध में मद ख 5 में यदि शेष में कोई हानि है तो उसे अल्पकालिक पूँजीगत अभिलाभ के सामने प्रतितुलन नहीं करेंगे । ऐसी स्थिति में, मद क 4 के आंकड़ों को ही मद ग में प्रविष्ट करेंगे ।

(छ) अनुसूची ण ध-

(i) मद 1 क तथा 1 ख के सामने उस लाभांश तथा ब्याज के रूप में प्राप्त सकल आय के ब्यौरों की प्रविष्टि करें जिसे छूट प्राप्त नहीं है ।

(ii) मद 1 ग के सामने, मशीनरी, संयंत्र अथवा किराये पर दिए गए फर्नीचर से प्राप्त सकल आय को दर्शाए और ऐसी आय को भी दर्शाएं जहाँ उक्त मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर को किराये पर देने से भवन से किराया अलग नहीं है, यदि वह आय " कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत आय कर के लिए प्रभार्य नहीं है ।

(iii) घुड़दौड़ों के स्वामित्व तथा रखरखाव से प्राप्त आय की संगणना अलग से की जानी है क्योंकि घुड़दौड़ों के स्वामित्व तथा रखरखाव से हुई हानि को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय में समायोजित नहीं किया जा सकता है और उसे परवर्ती में समान आय में प्रतितुलन के लिए अग्रेनीत किया जा सकता है ।

लाटरियों, शब्द वर्ग पहेलियों, दौड़ों आदि की जीतें कर की विशेष दरों के अध्यधीन हैं, अतः इसके लिएअलग से एक मद का प्रावधान किया गया है ।

(iv) इस अनुसूची की मद 5 में " अन्य स्रोतों से प्राप्त आय" (मद 1 छ+ मद 2+ मद 3+ मद 4 ग शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य कुल आय की संगणना की जाती है ।) यदि मद 4 ग में घुड़दौडों के स्वामित्व तथा रखरखाव से शेष में कोई हानि है तो मद 1छ, मद 2 तथा मद 3 की ही राशि को मद 5 में प्रविष्ट करें ।

(ज) अनुसूची-ग म ढ क-

(i) संगत पंक्ति में,शीर्षवार कॉलम 1 में चालू वर्ष की केवल धनात्मक आय का उल्लेख करें ।

(ii) चालू वर्ष की कुल क्षति (क्षतियों) का उल्लेख करें यदि उपर्युक्त क्रमशः कॉलम 2, 3 तथा 4 के स्थान पर गृह संपत्ति, कारोबार अथवा व्यवसाय तथा अन्य स्रोत (घुड़दौडों से हुई हानियों से भिन्न) कोई हों । इन हानियों का धारा 71 के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के सामने प्रतितुलन किया जाना है । संबंधित शीर्षों के सामने प्रतितुलन की राशि को संगत पंक्तियों में, कॉलम 2, 3,तथा 4 में प्रविष्ट करना होगा ।

(iii) कॉलम 5 में, शीर्षवार, संगत पंक्तियों में उपर्युक्त अंतर-शीर्ष प्रतितुलन के अंतिम परिणाम का उल्लेख करें ।

(iv) कॉलम 2, 3 तथा 4 में से प्रतितुलित कुल हानि को पंक्ति vii में प्रविष्ट करना होगा ।

(v) प्रतितुलन के लिए शेष हानि को पंक्ति viii में प्रविष्ट करना होगा ।

(झ) अनुसूची ख च ढ क-

(i) कॉलम 1 में शीर्षवार, संगत पंक्तियों में अनुसूची ग म ठ क में हानि का प्रतितुलन करने के बाद चालू वर्ष की केवल धनात्मक आय का उल्लेख करें ।

(ii) अग्रेनीत की गई हानियों की राशि जिसका प्रतितुलन किया जा सकता है, उन्हें कॉलम 2 की संगत पंक्तियों में प्रविष्ट किया जाना है ।

(iii) प्रतितुलन के अंतिम परिणाम को कॉलम 3 में, संगत शीर्ष में प्रविष्ट किया जाएगा । कॉलम 3 के योग को पंक्ति viii में प्रविष्ट किया जाएगा जिससे **<u>सकल कुल राशि प्राप्त होगी ।</u>**

(iv) वर्ष के दौरान अग्रेनीत की गई हानियों की कुल राशि को पंक्ति VIII के कॉलम 2 में प्रविष्ट किया जाएगा।

(ञ) अनुसूची ग च ठ -

(i) इस अनुसूची में, पूर्ववर्ती वर्ष से लाई गई हानियों का लेखा-जोखा, वर्ष के दौरान प्रतितुलन तथा भावी वर्षों की आय में प्रतितुलन करने के लिए प्रविष्ट किया जाना है ।

(ii) " गृह संपत्ति" " कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत हानियाँ जो अल्पकालिक पूँजीगत हानि तथा दीर्घकालिक पूँजीगत हानि, अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न हानि) को 8 वर्षों के लिए अग्रेनीत करने की अनुमति है ।

तथापि, घुड़दौड़ के स्वामित्व तथा रख-रखाव से हुई हानियों को केवल 4 कर निर्धारण वर्षों के लिए अग्रेनीत किया जा सकता है ।

(ट) अनुसूची 10 क

(i) यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए एक से अधिक उपक्रम पात्र हैं तो कृपया प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ii) धारा 10क के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते फाम सं. 56 की मद 17 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती की राशि होगी ।

(ठ) अनुसूची 10 क क-

यदि इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम कटौती के लिए पात्र है तो कृपया प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ड) अनुसूची 10 ख-

(i) यदि इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें।

(ii) धारा 10 ख के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते सं. 56 छ की मद 17 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए .इस धारा के अंतर्गत कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ढ) अनुसूची 10 ख क-

(i) यदि इस धारा के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें।

(ii) धारा 10 ख के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते सं. 56 छ की मद 17 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए .इस धारा के अंतर्गत कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ण) अनुसूची 80 जी

(i) इस अनुसूची में, आपके द्वारा दिए गए दान जो धारा 80 छ के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, के ब्यौरे भरने होंगे ।

(ii) इस अनुसूची के भाग क में, वे दान जो 100% तक कटौती के लिए पात्र हैं, के ब्यौरे भरे जाने हैं । धारा 80छ(2) के साथ पठित धारा 80 छ(1)(i) में उन दान के फंडों/संस्थाओं की सूची शामिल है जिनके लिए दानकर्ता के हाथ में 100 % कटौती के पात्र हैं ।

(iii) इस अनुसूची के भाग ख में, वे दान जो 50% कटौती के लिए पात्र हैं, के ब्यौरे भरे जाने हैं जहाँ ऐसे दान फंडों/संस्थाओं को दिए गए हैं जिन्हें इस प्रयोजनार्थ किसी प्राधिकरण से अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है। धारा 80द(2) के साथ पठित धारा 80 छ(1)(i) में भी ऐसे फंडों/संस्थाओं की सूची शामिल है ।

(iv) इस अनुसूची के भाग ग में उन फंडों/संस्थाओं जो इस प्रयोजनार्थ आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है को दिए गए दानों के ब्यौरे ।

(v) जहाँ भाग-ग में उल्लिखित सकल दान तथा धारा 80छ(2) के खंड (क) और खंड (ख) तथा खंड(ग) के उपखंड (v),(vi),(vi क) और(vii) में उल्लिखित दान कुल आय की 10% से अधिक होती है (अध्याय VI क के अन्य उपबंधों के अंतर्गत कटौती की संगणना के प्रयोजनार्थ अधिक राशि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा)

(त) अनुसूची 80 झ क, अनुसूची झ ख और अनुसूची झ ग-

(i) यदि इनमें से किन्ही धाराओं के अंतर्गत एक से अधिक उपक्रम कटौती के लिए पात्र हैं तो कृपया संगत अनुसूची में प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग से कटौती के ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

(ii) धारा 80 झ क /80 झ ख/80 झ ग तथा 80 झ ड. के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट होने के नाते फार्म सं. 10 ग ग ख की मद 30 के अनुसार किसी उपक्रम के लिए कटौती की राशि होगी ।

(थ) अनुसूची VI क-

(i) अनुमत्य कटौतियों की कुल राशि को कुल सकल आय तक सीमित किया गया है । अनुमत्य कटौतियों के ब्यौरों के लिए कृपया अध्याय VI क के उपबंधों को देखें ।

(ii) धारा 80 झ क, 80 झ ख और 80 झ ग तथा झ ड. के अंतर्गत कटौतियों के लिए अनुसूची 80 झ ख और 80 झ ग में यथा निर्दिष्ट राशि को भरें । धारा 80 झ घ के अंतर्गत दावा की जाने वाली कटौती की राशि इस अनुसूची में ही भरी जाए ।

(iii) अन्य कटौतियाँ, जो उपलब्ध हैं, के ब्यौरे निम्नवत् हैं -

(i) धारा 80 ग(इस धारा के अंतर्गत कटौतियों की कुछ मुख्य मदें हैं - जीवन बीमा में संदत्त अथवा जमा की गई राशि, सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अंशदान, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान, कर-निर्धारिती द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता फंड में किया गया अंशदान, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में अंशदान, शिक्षण शुल्क, आवासीय मकान की खरीद अथवा निर्माण के प्रयोजन के लिए अदायगी/चुकौती तथा कई अन्य निवेश)(पूरी सूची के लिए, कृपया आयकर अधिनियम की धारा 80 ग का अवलोकन करें) (कृपया यह भी नोट कर लें कि धारा 80 ग ग ड. में किए गए प्रावधान के अनुसार धारा 80 ग, 80 ग ग तथा 80 ग ग घ के अंतर्गत कटौती की सकल राशि एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी)

(ii) धारा 80 ग ग ग (कतिपय पेंशन फंडों में किए गए अंशदान के संबंध में कटौती)

(iii) धारा 80 ग ग घ (केन्द्र सरकार की पेंशन स्कीम में किए गए अंशदान के संबंध में कटौती)

(iv) धारा 80 घ (चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती)

(v) धारा 80 घ क (गुजारा भत्ता के संबंध में कटौती जिसमें आश्रित जो कि एक पूर्णतः अपंग व्यक्ति है, का चिकित्सा उपचार भी शामिल है)

(vi) धारा 80 घ घ ख (चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती)

(vii) धारा 80 ड. (उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण ब्याज के संबंध में कटौती)

(viii) धारा 80 छ (कतिपय फंडों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती) ,

(ix) धारा 80 छ छ (अदा किए गए किराये के संबंध में कटौती)

(x) धारा 80 छ छ ग (किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए चंदों के संबंध में कटौती

(xi) धारा 80 ञ ञ क (बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट के संग्रहण तथा प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त अभिलाभ के संबंध में कटौती)

(xii) धारा 80 थ थ ख (पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों को रॉयल्टी आय आदि के संबंध में कटौती)

(ii) धारा 80 द द ख (पेटेंटों पर रॉयल्टी के संबंध में कटौती)

(iii) (xiv) धारा 80 प(किसी अपंग व्यक्ति के मामले में कटौती)

(i) धारा 88ड. में प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य संव्यवहार पर संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर की रिबेट का प्रावधान किया गया है जिसे कर निर्धारिती द्वारा कारोबार कार्यकलाप के दैरान निष्पन्न किया गया है ।

(ii) यह रिबेट ऐसे संव्यवहरों से उद्भूत होने वाले लाभ पर कर की औसत दर पर संगणित आधार की राशि तक सीमित है जिसे कुल आय में शामिल किया गया है ।

(iii) कृपया यह नोट कर लें कि उन संव्यवहारों पर संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के संबंध में कोई रिबेट उपलब्घ नहीं है जो दीर्घकालिक/अल्पकालिक अभिलाभ से उत्पन्न होते हैं ।

(iv) इस धारा के अंतर्गत रिबेट का दावा किया जा सकेगा जैसा कि नियम 20 क ख के अनुसार फार्म सं. 10 घ ख तथा फार्म सं. 10 घ ग में संगणित है ।

(द) अनुसूची ध त झ

(i) पति-पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय के ब्यौरे प्रस्तुत करें यदि आयकर अधिनियम के अध्याय V के उपबंधों के अनुसार उनकी आय आपकी आय में शामिल की जानी है ।

(ii) इस अनुसूची में निष्पन्न आय को संबंधित शीर्ष में शामिल करना होगा ।

(iii) धारा 10 (32) में क्लबिंग के प्रयोजनार्थ नाबालिग बच्चों की आय के संबंध में 1500/-रू. तक की छूट प्रदान की गई है । अतः संबंधित शीर्ष में नाबालिग बच्चे की आय को शामिल करते समय नाबालिग बच्चे की आय से 1500/- को शामिल नहीं किया गया है । तथापि, विभिन्न शीर्षों में यदि नाबालिग बच्चे की आय शामिल की जाती है तो कुल 1500/-रू. कि अधिक की राशि के बाहर नहीं रखा जाना चाहिए ।

(ध) अनुसूची ध झ-

कुल आय में शामिल की गई आय का उल्लेख करें जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है। संगत धारा के लिए कोड तथा करों की विशेष दरें अनुदेश सं. 9 (iii) में निर्दिष्ट हैं ।

(न) अनुसूची झ च-

(i) इस अनुसूची में प्रत्येक फर्म को भरना होगा जिसमें आप साझेदार हैं ।

(ii) यदि आप पाँच से अधिक फर्मों में साझेदार है तो आपको अलग से शीट संलग्न करनी होगी जिसमें उसी फार्मेट में ब्यौरे देने होंगे ।

(iii) इस अनुसूची के कॉलम (i) में, फर्म का नाम भरें तथा कालम 2 में फर्म जिसमें कर निर्धारिती एक साझेदार है, की पैन संख्या भरें । कालम 3 तथा 4 में आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा संगणित फर्म के लाभ में शेयर की राशि प्रस्तुत करें । ऐसे शेयर पर साझेदार के हाथ में कर से छूट प्राप्त है ।

(iv) कॉलम (v) में, कृपया उस फर्म जिसमें आप साझेदार हैं, में पूँजी शेष (जिसमें पूँजी शामिल है जिस पर आप ब्याज प्राप्त करने के पात्र हैं) की राशि प्रस्तुत करें ।

(प) अनुसूची ड. झ-

आय जैसे कृषि जनित आय , ब्याज, लाभांश आदि जो कर से छूट प्राप्त हैं, के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

(फ) अनुसूची-वार्षिक सूचना विवरणी-

इस अनुसूची में, कृपया अनुदेश सं. 9(iii) में बताए गए के अनुसार ब्यौरे भरें ।

(ब) अनुसूची आयकर-

(i) इस अनुसूची में आयकर अग्रिम की अदायगी तथा स्व कर-निर्धारण पर आयकर के ब्यौरे भरें।

(ii) पावती अधपन्ने से बैंक शाखा (7 अंक का बी एस आर कोड) जमा की तारीख, चालान क्रम सं. तथा संदत्त राशि के ब्यौरे भरे जाने चाहिए।

(भ) अनुसूची टीडीएस-1 तथा टीडीएस-2

(i) इन अनुसूचियों में कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी किए गए (फार्म 16 अथवा फार्म 16 क) टी डी एस प्रमाण पत्रों के आधार पर कटौतीकृत कर के ब्यौरे भरें ।

(ii) प्रत्येक प्रमाण पत्र के ब्यौरों को अलग से पंक्तियों में भरें । यदि .इन अनुसूचियों में दी गई पंक्तियां पर्याप्त नहीं हैं तो कृपया उसी फार्मेट में एक तालिका संलग्न करें ।

(iii) कृपया यह नोट कर लें कि टी डी एस प्रमाणपत्रों को विवरणी फार्म के साथ संलग्न नहीं करना है ।

(म) अनुसूची टीसीएस

(i) इस अनुसूची में, समाहर्ता द्वारा जारी किए गए (फार्म सं. 27घ) टी सी एस प्रमाण पत्रों के आधार पर स्रोत पर की गई कर कटौती के ब्यौरे भरें ।

(ii) यदि इस अनुसूची में दी गई गई पंक्तियाँ पर्याप्त नहीं हैं तो कृपया उसी फार्मेट में अलग से एक तालिका संलग्न करें ।

(iii) कृपया यह नोट कर लें कि टी डी एस प्रमाण पत्रों को विवरणी फार्म के साथ संलग्न नहीं करना है ।

15. भाग ख-कुल आय की संगणना

(i) इस भाग में, विभिन्न वर्षों के अंतर्गत संगणित आय तथा अनुसूची ग च ढ क और अनुसूची ख च ठ क में प्रतितुलन के अनुसार आय का लेखा-जोखा शामिल किया जाना है ।

(ii) प्रत्येक प्रविष्टि जो अनुसूचियों के आधार पर भरी जानी है, को काट दिया गया है अतः यहाँ कोई और स्पष्टीकरण नहीं देना है ।

16. भाग ख-कुल आय पर कर देयता की संगणना-

(क) मद सं. 1क में, लागू दर पर संगणित की जाने वाली सकल कर देयता के ब्यौरे भरें । जिस दर पर कर की देयता संगणित की जानी है, वह दर निम्नवत् है :

(क) व्यष्टि (महिला से भिन्न तथा वे व्यष्टि जिनकी आयु वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी समय 65 वर्ष या इससे अधिक है) तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
1,60,000 रू. तक	शून्य
1,60,000रू.-3,00,000रू. के बीच में	1,60,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू.-5,00,000रू. के बीच में	14000+3,00,000रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000रू. से अधिक	54000+ 5,00,000रू. से अधिक आय का 30%

(ii) महिलाओं (ऐसी महिलाओं से भिन्न जिन की उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो) के मामले में-

आय **(** रूपए में**)**

आय (रूपये में)	**कर देयता (रूपये में)**
1,90,000रू. तक	शून्य
1,90,000रू. से 3,00,000रू. के बीच	1,90,000 रूपये से अधिक आय का 10%
3,00,001रू. 5,00,000 रूपये के बीच	11,000+3,00,000 रूपये से अधिक का 20%
5,00,000 रूपये से अधिक	51,000+5,00,000 रूपये से अधिक आय का

	30%

(iii) ऐसे व्यष्टियों के मामले में जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो-

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
2,40,000रू. तक	शून्य
2,40,001 से 3,00,000 रू. के बीच	2,40,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू. 5,00,000 रूपये के बीच	6000+3,00,000 रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000 रूपये से अधिक	46,000+रूपये 5,00,000 रूपये से अधिक का 30%

(ख) मद सं.2 में, मद सं.1ग के दो प्रतिशत की दर से अधिभार के ब्यौरे भरें, यदि भाग ख टी आई की मद सं.11 के अनुसार कुल आय 10 लाख रूपए से अधिक होती है। तथापि, कुल आय में अन्तर होने तथा 10 लाख रूपए होने के कारण ऐसा अधिभार अधिक नहीं होगा।

(ग) मद सं.3 में, मद सं.1 ग तथा मद सं.2 में तीन प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित शिक्षा उपकर की संगणना करें।

(घ) मद सं.5 क में, राहत का दावा करें, यदि, वर्ष के दौरान प्राप्त वेतनों की बकाया राशि अथवा अग्रिमों के संबंध में धारा 89 के अंतर्गत यदि कोई छूट है।

(ड़) मद 11 ख में, कृपया वेतन आय के संबंध में नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए फार्म 16 तथा अन्य आय के संबंध में किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए फार्म 16 क और अनुसूची टी.डी.एस.1, टी.डी.एस.2 तथा टी.सी.एस. में यथा प्रविष्ट फार्म 27 घ के अनुसार ब्यौरे प्रस्तुत करें।

(च) मद 16- .इस अनुसूची में कृपया बैंक के एम आई सी आर का उल्लेख करें यदि आप इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदाय प्राप्त करना चाहते हैं। तथापि, सभी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदाय जारी करना संभव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं है।

17. सत्यापन

(क) यदि विवरणी कागजी प्रपत्र में या डिजीटलन हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक रूप में या बारकोडेड प्रारूप में प्रस्तुत करनी है तो कृपया सत्यापन में अपेक्षित सूचना भरें । जो लागू न हों उसे काट दें । कृपया सुनिश्चित करें कि विवरणी जमा करने से पूर्व सत्यापन पर हस्ताक्षर हो । विवरणी पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम लिखें ।

(ख) यदि अनुदेश सं. 5(iii) में उल्लिखित ढंग से इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करनी हो तो कृपया सत्यापन फार्म (फार्म आईटआर-) भरें ।

(ग) कृपया नोट करें कि विवरणी या संलग्न अनुसूचियों में गलत विवरण देने वाले किसी भी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाएगा तथा दोष सिद्ध होने पर उक्त धारा के अंतर्गत उस पर कठोर कारावास और अर्थदंड लगाया जाएगा ।

18. कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) के संबंध में ब्यौरा(क) यह विवरणी 28 नवम्बर, 2006 की कर विवरणी तैयारकर्ता योजना के अनुसरण में किसी कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा भी तैयार की जा सकती है ।

(ख) यदि विवरणी उसके द्वारा तैयार की गई है तो उसके द्वारा सत्यापन के नीचे मद सं.16 में संगत ब्यौर भरे जाएं और उक्त मद में उपलब्ध स्थान पर विवरणी उसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाए ।

(ग) कर विवरणी तैयारकर्ता करदाता से अधिकतम 250/-रूपये की फीस लेने का हकदार है । कर विवरणी तैयारकर्ता निम्नलिखित तीन वर्षों के लिए सरकार से निम्नानुसार प्रतिपूर्ति का हकदार है:-

(i) पहले पात्र कर निर्धारण वर्ष (पहला पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय कर निर्धारण वर्ष से है यदि कम से कम तीन कर निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत न की गई हो) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त आय का 3%

(ii) दूसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष (दूसरा पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय पहले पात्र कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के कर निर्धारण वर्ष से है) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 2%

(iii) तीसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष (तीसरा पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय दूसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के कर निर्धारण वर्ष से है) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 1%

(घ) इन तीन पात्र कर निर्धारण वर्षों के लिए, टीआरपी करदाता से उतनी राशि शुल्क के रूप में प्राप्त करने का पात्र होगा जितनी राशि सरकार से उसे प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि 250 रू. से अधिक होगी ।